उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 2005 /यू.पी.–रेरा/प्रशा./2023–24 दिनांकः 10/02/2024

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) में शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों के विवरणों में एडिटिंग किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक 22/यू.पी.–रेरा/SOP/शिका.एडि./2019–20 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा मानक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित की गयी है। तत्क्रम में वर्तमान परिरिस्थितियों के दृष्टिगत संशोधित आदेश निम्नवत जारी किये जाते हैं:–

1. शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गयी शिकायतों के विवरणों में परिवर्तन यदि मूल्याकंन के स्तर पर है तो इसमें निर्णय का स्तर विधि सलाहकार का होगा।
2. शिकायतों की सुनवाई मा. पीठ के स्तर पर विचाराधीन होने की स्थिति में शिकायत के विवरण में परिवर्तन के निर्णय का स्तर मा. पीठासीन अधिकारी का होगा।
3. आदेश कार्यान्वयन के स्तर पर शिकायत के विवरण/अभिलेखों में परिवर्तन के निर्णय का स्तर संयुक्त सचिव/उपसचिव का होगा।
4. उपर्युक्त सभी स्थितियों में निर्णय उपरान्त परिवर्तन करने सम्बन्धी संदर्भ सिस्टम एनालिस्ट को भेजा जायेगा। सिस्टम एनालिस्ट द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
5. शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत में अपना नाम, ईमेल एवं मोबाईल नम्बर में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र के साथ आई.डी. प्रूफ देना अनिवार्य होगा।
6. शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत में पता परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र के साथ अपना एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा।
7. यदि शिकायत रेरा में अपंजीकृत परियोजना के सम्बन्ध में है और शिकायतकर्ता द्वारा प्रोमोटर/प्रोजेक्ट के नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में ज्ञात प्रोमोटर का ईमेल, मोबाईल नम्बर एवं पत्राचार का पता उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. शिकायत में प्रोमोटर/प्रोजेक्ट के नाम में संशोधन के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि उसी प्रोमोटर से सम्बन्धित शिकायतें उ.प्र. रेरा में किसी मा. पीठ में सुनवाई हेतु नियत है तो उक्त शिकायत को सम्बन्धित पीठ में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ कृपया।
2. मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ कृपया।
3. मा. न्याय निर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ।
4. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8. सहायक निदेशक सिस्टम्स/सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव